संचय
SANCHAYA

रा ब सं
जनसेवा में 50 वर्षों से अधिक
NSI
Over 50 Years in Service of People

मासिक प्रकाशन | Monthly Publication

जून 2007 (अंक 169) | June 2007 (Issue 169)

श्रीमती विद्या चौधरी, माननीय वित्त राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय बचत संस्थान के प्रशिक्षण केन्द्र तथा बैंक अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही (बायें से दायें) श्री ए. के. चौहान क्षेत्रीय निदेशक (वरिष्ठ), श्री अनिल भट्टाचार्य, निदेशक राष्ट्रीय बचत संस्थान और श्री मुकेश मित्तल, विशेष सचिव (वित्त) उत्तर प्रदेश सरकार।

माननीय वित्त राज्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण केन्द्र और बैंक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया

श्रीमती विद्या चौधरी, माननीय वित्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में 18 जून 2007 को राष्ट्रीय बचत संस्थान के प्रशिक्षण केन्द्र और बैंक अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय बचत संस्थान के प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण अल्प बचत अभिकर्ता तथा वित्त मंत्रालय के वितरण माध्यमों के प्रतिनिधियों जैसे डाक कर्मियों एवं बैंक कर्मियों के लिये आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया।

अपने उद्घाटन संबोधन में माननीय मंत्री ने कहा राज्य में किया गया बचत एकत्रीकरण राज्य के आर्थिक विकास के लिये प्रयोग में आता है। राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा राज्य में बचत एकत्रीकरण में और अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में राज्य सरकार अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगी। श्री अनिल भट्टाचार्य, निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान ने उपस्थित जनों से अपील किया कि वे बचत आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिये हर संभव प्रयास करें। श्री मुकेश मित्तल, विशेष सचिव (वित्त) ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रकट किये। श्री ए.के. चौहान, क्षेत्रीय निदेशक ने राज्य में बचत एकत्रीकरण के लिये राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। तत्पश्चात बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय बचत संस्थान
NATIONAL SAVINGS INSTITUTE

http://nsiindia.gov.in.

राष्ट्रीय बचत संस्थान, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, सेमिनरी हिल्स, नागपुर National Savings Institute, CGO Complex, Seminary Hills, Nagpur

श्री. एस. के. त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), राष्ट्रीय बचत संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर द्वारा आयोजित महिला बचत दिवस के अवसर पर एम.पी.के.बी.वाय. अभिकर्ता को प्रमाण–पत्र देते हुये दिखाई दे रहे है। श्री एम.के. मलहोत्रा, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान जयपुर केन्द्र भी दिखाई दे रहे है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्त्रोत पर कटौती के सम्बन्ध में संशोधन जारी किया

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 861 (ई), दिनांक 1 जून 2007 द्वारा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 के अंतर्गत किसी भी जमा पर अर्जित ब्याज पर स्त्रोत पर कर कटौती की छूट सीमा के संबंध में संशोधन जारी किया जो वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2004 के जी एस आर सं. 490 (ई) द्वारा प्रकाशित किया गया।

संशोधन के अंतर्गत दिनांक 1 जून 2007 के प्रभाव से कर छूट सीमा रु. 5000/– से बढ़ाकर रु. 10000/– की गयी है। आयकर अधिनियम की धारा 194–ए के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 में जमा की गई राशि पर अर्जित ब्याज जो कि जमा हो या जमा किया जानेवाला हो उस पर स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं होगी जहाँ इस प्रकार की ब्याज की राशि वित्तिय वर्ष में रु. 10,000/– से ज्यादा न हो।

श्री अनुपम राजन, आई.ए.एस., जिलाधिकारी, कटनी (मध्य प्रदेश), राष्ट्रीय बचत संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र नागपुर द्वारा कटनी (म.प्र.) में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अल्प बचत अभिकर्ताओं को संबोधित करते हुये दिखाई दे रहे हैं। साथ ही श्री डी.डी. अग्रवाल, सी.ई.ओ. जिला पंचायत और श्री एम.एल. गंगोरे, उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र नागपुर भी दिखाई दे रहे है।

श्रीमती मृदुला सहारिया, चेअर परसन, आसाम राज्य महिला आयोग (बायें से द्वितीय) गुवाहाटी में राष्ट्रीय बचत संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी केन्द्र द्वारा आयोजित महिला बचत दिवस के अवसर पर उपस्थित सभा को संबोधित करती हुयी दिखाई दे रही है। साथ ही (बायें से दायें) श्री आर.एन. मुखर्जी, क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) राष्ट्रीय बचत संस्थान, श्रीमती नफिफा अहमद, संयुक्त सचिव, आसाम सरकार और श्री दिलीप बोरधकार, निदेशक अल्प बचत, आसाम सरकार भी दिखाई दे रहे है।

भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 में संशोधन किया।

केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम - 2004 में संशोधन किया है जो कि वित्त मंत्रालय, (आ.का.वि.) अधिसूचना सं.जी.एस. आर 390 (ई.) दिनांक 24 मई 2007 द्वारा प्रकाशित की गई है। इन नियम का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (संशोधन) नियम 2007 है और ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

संशोधन के अंतर्गत नियम 3 के उप नियम 2 में जैसे कोई जमा कर्ता इन नियमों के अधीन एक से अधिक खाता प्रचालित कर सकेगा, इस शर्त के अधीन रहते हुये कि सभी खातों में कुल मिलाकर यथा-विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक नहीं जमा होगा और किसी कैलेंडर मास के दौरान उसी जमा कार्यालय में एक से अधिक खाता नहीं खोला जायेगा, का लोप किया जाता है।

श्रीमती स्वाती शर्मा, आई.ए.एस., चंडीगढ प्रशासन द्वारा चंडीगढ में आयोजित महिला बचत दिवस समारोह के अवसर पर उत्कृष्ट एम पी के बी वाय अभिकर्ता को ट्राफी एवं पुरस्कारप्रदान करते हुये दिखाई दे रही है। श्री राजीव सागर, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान चंडीगढ़ क्षेत्र भी दिखाई दे रहे है।

अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक अल्प बचत संग्रहण (प्रारंभिक आकड़े)

(करोड रुपये)

क्र. सं.	क्षेत्र / राज्य	सकल	शुद्ध	सकल	शुद्ध
		मार्च 2006 तक		मार्च 2007 तक	
1.	आंध्र प्रदेश	10439.36	4238.96	9902.00	2276.98
2.	अरूणाचल प्रदेश	86.99	38.89	88.61	25.46
3.	असम	2147.42	176.93	1876.05	-468.93
4.	अंदमान निकोबार द्वीप	33.21	15.57	31.80	13.54
5.	आर्मी पोस्ट ऑफीसेस	289.41	-65.18	264.11	-482.15
6.	बिहार	6078.70	2250.80	5661.31	1675.27
7.	झारखंड	3058.23	1511.82	2604.34	1003.56
8.	चंडीगढ	444.49	42.78	398.81	-59.46
9.	दमण एवं दीव	38.82	14.25	407.43	110.80
10.	दिल्ली	7601.46	3589.15	6193.33	1439.69
11.	गोवा	684.03	438.81	552.43	305.56
12.	गुजरात	16663.39	6720.12	13864.23	2815.73
13.	हरियाणा	5077.62	1291.13	4841.50	708.68
14.	हिमाचल प्रदेश	2424.91	731.02	2399.80	543.66
15.	जम्मू व कश्मीर	1593.80	550.60	1529.61	319.50
16.	कर्नाटक	8280.19	3468.11	6807.27	1020.16
17.	केरल	5948.39	2282.27	4784.07	986.59
18.	लक्षद्वीप	1.30	0.11	2.02	0.92
19.	मध्य प्रदेश	5599.41	2231.16	3900.12	466.15
20.	छत्तीसगढ	1746.55	763.21	3768.08	2634.30
21.	महाराष्ट्र	20127.92	8766.93	16034.39	3451.41
22.	मणिपुर	96.27	25.78	90.90	11.65
23.	मेघालय	169.47	37.60	166.01	14.42
24.	मिझोरम	95.00	19.29	84.34	-5.66
25.	नागालैंड	49.99	22.22	46.03	7.92
26.	उडीसा	3022.60	1195.49	2752.46	705.36
27.	पांडीचेरी	236.42	139.72	159.88	35.20
28.	पंजाब	9434.20	2692.80	9146.93	1516.58
29.	राजस्थान	8100.32	2394.18	7348.94	609.48
30.	सिक्कीम	69.40	17.95	60.99	-3.13
31.	तमिलनाडू	11749.13	5032.05	10158.54	2637.25
32.	त्रिपूरा	470.63	187.73	435.18	111.30
33.	उत्तर प्रदेश	17283.20	6240.66	15997.73	3966.36
34.	उत्तरांचल	2299.70	704.63	2184.27	522.55
35.	पश्चिम बंगाल	21812.58	9804.14	19389.66	5946.39
	कुल	173308.52	67571.70	153933.17	34863.09

टिप्पणी : डाक विभाग नई दिल्ली से प्राप्त प्रारंभिक आंकडे सामन्जस्य अधीन है । इन आंकडों में पी.पी.एफ. एवं एस सी एस एस (बैंक) संग्रह शामिल नहीं हैं ।

SHIVRAJ (D.G.P.S.) NAGPUR